

Tuesday, January 25, 2011 7:30:09 AM

ताजा समाचार

[\\* आयोजन पर कलमाडी ने लगायो मुहर](#) \* [अहम मौका गंवा दिया भारत ने](#) \* [गजल सम्राट गुलाम अली आज रांची में](#) \* [पंडित भीमसेन जोशी नहीं रहे](#) \* [सचिन को मिले भारत रत्न](#) \*

मुख्यपृष्ठ

रांची

जमशेदपुर

धनबाद

देवघर

पटना

सिलीगुड़ी

- [Citizen Journalist](#)
- [Forum](#)
- [Railway Time Table](#)
- [Flight Details](#)
- [Jharkhand Politics](#)

PK SPECIAL



प्रभात खबर की पहल पर पानी बचाओ अभियान जारी है. आप चाहें तो इस कडी से जुड़ सकते हैं. इस विषय पर दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हमें भेजें, साथ में अपनी पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी. सुझाव / टिप्पणी भेजने के लिए इस वेब पते पर जाएं- <http://prabhatkhabar.net>

Other Headline

CHIEF EDITOR

E-PAPER



## अपनी संपत्ति बतायेंगे कर्मी

1/25/2011 6:23:55 AM

Change font size: [A](#) | [A](#)

Print

E-mail

Comments

Rating

SHARE

Bookmark

**पटना:** राज्य के बाबू से हाकिम तक को संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा. सरकार ने इसे अनिवार्य बनाते हुए कहा है कि 28 फरवरी तक संपत्ति को सार्वजनिक नहीं करने पर उस माह का वेतन नहीं मिलेगा.

### विवरणी नहीं, तो वेतन नहीं

सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए आइएएसएस, आइपीएस व आइएफएस अधिकारियों के अलावा राज्य सरकार के समूह क, ख और ग के कर्मियों को 28 फरवरी तक अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने को कहा है.

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित अवधि तक अगर किसी कर्मी या अधिकारी ने विवरणी जमा नहीं की, तो उसके वेतन की निकासी न हो.

### कहां-कहां जमा होगी विवरणी

आइएएस अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग, आइपीएस अधिकारियों को गृह विभाग व आइएफएस को वन विभाग में अपनी संपत्ति की विवरणी जमा करने के लिए कहा गया है. इसी तरह राज्य सरकार के समूह क, ख एवं ग के कर्मी अपने नियंत्री पदाधिकारी को अपनी संपत्ति की विवरणी देंगे. जिला संवर्ग से नियु कर्मी जिला पदाधिकारी के यहां जमा करायेंगे. जिला पदाधिकारी उस विवरणी को उनके नियुक्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे.

अपनी संपत्ति..क्या-क्या करना होगा सार्वजनिकसामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि वेतन से अर्जित आय व व्यय, फ्लैट, कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि की हाल में मूल्यांकित मूल की विवरणी तो देनी होगी ही, साथ में अपने ओश्रतों के नाम अर्जित संपत्ति की विवरणी भी सार्वजनिक करना होगा. इतना ही नहीं, बैंक की विभिन्न योजनाओं, शेयर या डिबेंचर में निवेश की गयी राशि, वाहन ओद का ब्योरा भी देना होगा.

सामान्य प्रशासन विभाग ने की पहलइससे पूर्व 21 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने मातहत अधिकारियों व कर्मचारियों को एक फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने को कहा था. विभाग की योजना है कि उसी दिन उस विभाग की वेबसाइट पर संपत्ति की विवरणी सार्वजनिक कर दी जाये.

### OTHER HEADLINE

- कांग्रेस बनायेगी पंचायत कमेटियां...
- अभी सस्पेंड ही रहेंगे एसएस वर्मा...
- स्टेशन गोलंबर से हटाये गये होर्डिंग...
- अतिक्रमण पर हाइकोर्ट सख्त...
- कॉलेज कर रहे आय का ब्योरा देने में आनाकानी...
- सामान लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़...
- योजना आयोग को दी जायेगी जरतों की जानकारी...
- सुदीप्तो बने पीयू के प्रभारी कुलपति...
- प्राइवेट स्कूलों ने निर्देश मानने से किया इनकार...
- सोन का संकट दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक कल...
- नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी...
- मंत्रियों की राह देख रहे जदयू कार्यकर्ता...
- शिक्षाविदों की समिति करे चयन : सूर्यदेव...
- अब डीएम करेंगे सिफ्र निगरानी...
- दूर होगा बिजली संकट...
- चौसा में राइस मिल की दीवार ढही, दो मरे...
- कम से कम दो लाख हों एनएसएस कार्यकर्ता...
- अप्रैल से बजेगा किसानों का रेडियो...
- शिक्षकों की दक्षता परीक्षा 27 मार्च को...
- चोरी के दौरान बैंक में लगी आग...